

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 06/2024-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 08 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 676 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“8.	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 या 81	धातु स्ट्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ” ।

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

(अम्रीता टाइटस)

उप सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 676(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 780(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।